

पत्रांक-श्रम क० स०-10/2018

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिलाधिकारी, सुपौल के पत्रांक(कॉलम 4 में वर्णित)से स्वाभाविक मृत्यु में 02 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 60000/- (साठ हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार के आश्रित को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगार/शिल्पकार का नाम, उनके आश्रित का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम(संबंध)	जिला पदाधिकारी/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का व्योरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० मोहन साह, 40, स्व० हरि नारायण साह, अ० पि० वर्ग	श्रीमो फुलो देवी(पत्नी)	110/20.03. 2018	ग्रा०+पो०-चौहट्टा, पं०/वार्ड-किशनपुर दक्षिण, वार्ड नं०-09, था०+प्र०-किशनपुर, सुपौल	348378746 24	State Bank of India, Supaul, SBIN0012647	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, पेन्डर का कार्य
2	स्व० दसन मुखिया, 52, स्व० सीता राम मुखिया, अ० पि० वर्ग	श्रीमती निर्मला देवी(पत्नी)	111/20.03. 2018	ग्रा०-पुरानी दुर्गा स्थान, वार्ड 13, सुपौल, था०+जि०-सुपौल	503830484 44	इलाहाबाद बैंक, सुपौल ALLA0213240	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, मछली मारने का कार्य

कुल :- ₹ 60000/-

(साठ हजार रूपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-10/2018 के पृष्ठ-02/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-10/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)

श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह०/-

(डा० गणेश कुमार झा)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(गोपाल मीणा)

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-10/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए।

ह0/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह0/-

(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-

(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-10/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 60000/- (साठ हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह0/-

(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-

(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-10/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- श्रम अधीक्षक, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह0/-

(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-

(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-10/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, सुपौल को उनके पत्रांक 110, 111 दिनांक 20.3.2018 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

ह0/-

(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-

(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-10/2018-164

पटना, दिनांक :- 27-04-18

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2/26/04/18

(कृष्ण मुरारी प्रसाद)
श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी

26/04/18

(डा0 गणेश कुमार झा)
मुख्य वित्त पदाधिकारी

26/04/18

(गोपाल मीणा)
कार्यकारी निदेशक।